

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञाप सं०-6/खा० म० सुपौल-04/2017-

(6)/रा०, पटना-15, दिनांक-

शुद्धि पत्र

विषय :- मंत्रिपरिषद् की बैठक दिनांक-21.11.2017 के मद संख्या-05 में दी गई स्वीकृति के आलोक में सुपौल जिलान्तर्गत राघोपुर अंचल के मौजा-धरहरा, थाना सं०-128, खाता सं०-136, खेसरा-1677, 1678, रकबा-4.46 एकड़ गैर मजरूआ आम भूमि पर पावरग्रीड की स्थापना हेतु 9,000/- (नौ हजार) रु० प्रति डिसमिल की दर से 40,14,000/- (चालीस लाख चौदह हजार) रु० सलामी तथा सलामी के 5 प्रतिशत का 25 गुना पूँजीकृत मूल्य अर्थात् 50,17,500/- (पचास लाख सतरह हजार पाँच सौ) रु० सहित कुल-90,31,500/- (नब्बे लाख एकतीस हजार पाँच सौ) रु० के भुगतान पर बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कम्पनी लिमिटेड को स्थायी हस्तान्तरण की रवीकृति।

1. विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6/खा० म० सुपौल-04/2017-1123 (6)/रा०, दि०-19.12.2017 की कंडिका-4 के रूप में निम्नवत प्रतिस्थापित की जाती है :-

4. "इस बन्दोबस्ती से प्राप्त राशि बजट शीर्ष-0029 भू-राजस्व-101-भू राजस्व कर-0001-भूमि राजस्व-75-10 कर मद में जमा होगी जिसका विपत्र कोड-आर०-0029001010001 है।"

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या-6/खा० म० सुपौल-04/2017-1123 (6)/रा०, दि०-19.12.2017 की शेष कंडिका यथावत समझा जाय।

विश्वासभाजन

ह०/-

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-6/खा० म० सुपौल-04/2017- 1187 (6)/रा०, पटना-15, दिनांक-22-12-17  
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार (लेखा एवं हकदारी), पटना/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, मंत्रिगंडल सचिवालय विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा/समाहर्ता, सुपौल/वित्त विभाग, प्रशाखा-8, बिहार, पटना /राजस्व विभागीय प्रशाखा-6/आई०टी० मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(प्रवीण कुमार झा),  
सरकार के विशेष सचिव।